# कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक :२०२१ / 12–1 देहरादून, दिनांक १० दिसम्बर, 2021

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

**विषय:–** जनपद–देहरादून के विकासखण्ड रायपुर के अन्तर्गत ग्राम चन्द्रबनी खालसा एवं चन्द्रबनी ग्रान्ट मे पित्थुवाला तोक समूह पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.03 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु पेयजल निगम को प्रत्यावर्तन किये जाने के सम्बन्ध में।

**सन्दर्भ:–** वन अनुभाग–03, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–1452(1)x-3-21/2(34)/2021, दिनांक–01–12–2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के कम में उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है, जिसकी प्रति आपको भी पृष्ठांकित है। उक्त में अधिरोपित शर्तों के अनुसार वाँछित धनराशि आपके द्वारा बैंक ड्राफ्ट/चैक/अन्य माध्यम से निर्दिष्ट कोष में जमा की जानी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुसार देय धनराशि का विवरण निम्न प्रकार दर्शित है :–

| मद | क्षेत्रफल है0 में | घनत्व | ईको क्लास | दर प्रति वृक्ष/है0 | धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|
| **शर्त संख्या**–1 (प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियामानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। | - | - | - | रिक्त पड़े स्थानों पर/100 वृक्षों का वृक्षारोपण हेतु प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड के पत्रांक–1459/3–5–2 दिनांक–01.07.2021 के अनुसार निर्धारित 1464 रू0 प्रति वृक्ष | 146400.00 |
| **शर्त संख्या–2** के अनुसार प्रयोक्त अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0सं0–566 एवं भारत सरकार पत्र सं0–5–3//2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। | 0.03 | 0.5 | V | 845000/है0 | 25350.00 |

**शर्त संख्या–3 के अनुसार**– प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।

**शर्त संख्या–4 के अनुसार**– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक–05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबन्ध तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0–एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम)

ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्लैक्स, फेज–1, लोधी रोड़, नई दिल्ली–110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण, प्रस्तावित स्थल के आस पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात् ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगी।

अतः उक्तानुसार अपेक्षित धनराशि जमा कराने के उपरान्त सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित समस्त शर्तो की बिन्दुवार अनुपालन आख्या परिवेश पोर्टल पर अपडेट करते हुए उक्त की एक प्रति यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

**पत्रांकः– 221 / 12–1 तद्दिनांकित।**

**प्रतिलिपिः–** अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड देहरादून को उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में सादर सूचनार्थ।

**प्रतिलिपिः–** वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

**प्रतिलिपिः–** वन क्षेत्राधिकारी आसारोड़ी रेंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।